

## मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)दुदापुरा

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

भीकाराम पुत्र देवाराम कौम सीरवी निवासी दुदापुरा

बनाम

हिन्दुराम,वालाराम पुत्र मांगाराम भूरी पत्नी मांगाराम  
कौम सीरवी निवासी दुदापुरा

दावा बाबत -बंटवारा राजकाश्त0 अधि0 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 39/2016

निर्णय दिनांक :- 16/05/2016

वादी भीकाराम पुत्र देवाराम कौम सीरवी निवासी दुदापुरा प्रतिवादी हिन्दुराम,वालाराम पुत्र मांगाराम भूरी पत्नी मांगाराम कौम सीरवी निवासी दुदापुरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/05/2016 को पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

हिन्दुराम,वालाराम पि.मांगाराम,भूरी पत्नी मांगाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम दुदापुरा पटवार वृत्त दुदापुरा तहसील देसूरी के नाम ख.न 115/1 रकबा 0.15 है. किस्म बा.दो. लगान 0.75 व ख.न 116/1 रकबा 0.04 है. किस्म बा.दो. लगान 0.20 व ख.न 124/1 रकबा 1.41 है. किस्म चा.सो. 0.24,जा.सो. 1.17 लगान 480,8.19 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.60 कुल लगान 13.94 एवं भीकाराम पुत्र देवाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम दुदापुरा पटवार वृत्त दुदापुरा तहसील देसूरी के नाम ख.न 115 रकबा 0.16 है. किस्म बा.दो. लगान 0.80 व ख.न 116 रकबा 0.04 है. किस्म बा.दो. लगान 0.20 व ख.न 121 रकबा 0.02 है. किस्म गै.मु. काकर व ख.न 122 रकबा 0.03 है. किस्म गै.मु. काकर व ख.न 123 रकबा 0.64 है. किस्म चा.सो. 0.17,जा.सो. 0.47 लगान 3,40,3.29 व ख.न 124 रकबा 1.40 है. किस्म चा.सो. 0.23,जा.सो. 1.17 लगान 4,60,8.19 कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.29 कुल लगान 20.48 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शों में तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 16/05/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

( पर्वत सिंह चूण्डावत )  
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर देसूरी

दिनांक

क्रमांक / शिविर / 2016 /

प्रतिलिपि :-

1.तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी (पाली)